अग्निशमन उपकरण चलाने की प्रक्रिया सीखी और उपकरण भी खरीदे

जब आग से सुरक्षा की बात हो तो तैयारी ही सबसे बड़ा बचाव

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 29 मार्च। पहले ही दिन से अग्नि सुरक्षा मेला शहरवासियों के आकर्षण का केन्द्र बन गया है। ग्वालियर शहर ही नहीं ग्रामीण अंचल के निवासी भी अग्नि सुरक्षा मेले में पहुँचकर अग्नि दुर्घटना से बचने की बारीकियां सीख रहे हैं। साथ ही मेले में मिल रही विशेष छूट पर अग्नि सुरक्षा उपकरण भी खरीदकर ले जा रहे हैं। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण मंत्री नारायण सिंह कुशवाह, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर एवं सांसद भारत सिंह कुशवाह भी रविवार को अग्नि सुरक्षा मेला पहुँचे। साथ ही उन्होंने अग्नि सुरक्षा उपकरण चलाने की प्रक्रिया समझी और उपकरण भी खरीदे । ग्वालियर व्यापार मेला में दस्तकारी हाट (शिल्प बाजार) परिसर में रविवार 29 मार्च से शुरू हुआ अग्नि सुरक्षा मेला 31 मार्च तक लगा रहेगा। पुलिस महानिरीक्षक अरविंद कुमार सक्सेना, कलेक्टर रुचिका चौहान, अपर कलेक्टर कुमार सत्यम, नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय व जिला पंचायत के सीईओ सोजान सिंह रावत सहित जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी भी अग्नि सुरक्षा मेले में मौजूद रहे। मंत्री द्वय नारायण सिंह कुशवाह व प्रद्युम्न सिंह तोमर एवं सांसद भारत सिंह कुशवाह को कलेक्टर रुचिका चौहान ने अग्नि सुरक्षा मेला में लगी दुकानों का भ्रमण कराया। सांसद भारत सिंह कुशवाह ने कहा कि अग्नि सुरक्षा को लेकर इसी प्रकार के जनजागरण कार्यक्रम ग्रामीण अंचल में भी आयोजित किए जाएं।

दिव्यानंद अर्गल

मेला ग्राउंड में आयोजित अग्नि सुरक्षा मेला नागरिकों के लिए आकर्षण और सीख का केंद्र बना हुआ है। मेला ग्राउंड में लगा यह शिविर न केवल उपकरणों की प्रदर्शनी है, बल्कि जीवन बचाने का एक महत्वपूर्ण पाठ भी है। याद रखें, आग लगने पर घबराने के बजाय सही उपकरण का सही चुनाव ही आपकी और आपके अपनों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। अक्सर हम अपने घरों या दफ्तरों में लाल रंग के सिलेंडर टंगे देखते हैं, लेकिन आपातकाल में उनका सही चुनाव और उपयोग कैसे करना है, इसकी जानकारी ही किसी बड़ी अनहोनी को टाल सकती है।

मेले में आए हुए यह सभी नए उपकरण जिनके इस्तेमाल से आप पर काबू पा सकते हैं

. कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंगुइशर :- बिजली के उपकरणों और कीमती सर्वर रूम की आग के लिए सर्वोत्तम। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन को विस्थापित कर देती है। चूंकि यह कोई अवशेष नहीं छोड़ती, इसलिए संवेदनशील उपकरणों को नुकसान नहीं पहुँचता।

. ड्राई केमिकल पाउडर एबीसी टाइप सिलेंडर – यह मल्टीपर्पज यंत्र है जो लगभग हर प्रकार की आग पर काम करता है। इसमें मोनो-अमोनियम फास्फेट पाउडर होता है जो आग की रासायनिक प्रतिक्रिया को बीच में ही रोक देता है। 5 – 8 सेकंड के समय में पूरा सिलेंडर खाली हो जाता है और आग पर काबू पा सकते हैं , इस तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं . : सुरक्षा पिन खींचें। : पाइप का मुंह आग की जड़ की ओर रखें। : लीवर को दबाएं। : पाइप को दाएं-बाएं घुमाते हुए आग पर छिड़काव करें।

. स्मोक डिटेक्टर – मेले में घरेलू सुरक्षा के लिए स्मोक डिटेक्टर अर्थात धुआं पहचान यंत्र विशेष जोर दिया गया। , जैसे ही कमरे में धुआं फैलता है, यह सेंसर अलार्म बजा देता है, जिससे गहरी नींद में सोए व्यक्ति को भी समय रहते सूचना मिल जाती है।

इनका कहना है

ग्वालियर प्रशासन के द्वारा बहुत ही सराहनीय पहल की गई है ।मैं ग्वालियर में पहली बार आया हूं, मेरा खुद का अग्निशामक यंत्रों का मैन्युफैक्चरिंग है, हम इन यंत्रों का उपयोग करके खुद के साथ-साथ दूसरों की जिंदगी भी बचा सकते हैं ।प्रशासन के सहयोग से मे अपनी दुकान लगाकर लोगों को जागरूक कर रहा हू।

पुनीत, वेंडर, हरियाणा

यह बेहद जरूरी है, क्योंकि लगातार आग जैसी घटनाएं सामने आती है जिसमें समय रहते अगर काबू नहीं पाया जाता तो एक भयानक रूप ले लेती है इन यंत्रों के माध्यम से हम खुद इस्तेमाल करके आग पर काबू पा सकते हैं

राजेश, वेंडर, ग्वालियर

बहुत ही कम समय में हम आगजनी जैसी बड़ी घटना को एक बहुत मे होने वाले जान माल के नुकसान को स्वयं बचा सकते हैं । ग्वालियर में कई सारी घटनाएं होने के बाद शासन के द्वारा एक अच्छी पहल की गई है .

निखिल गुप्ता, दाल बाजार व्यापारी

अक्सर आग लगने पर घबराहट में लोग गलतियाँ कर बैठते हैं। मेले में फायर ब्रिगेड की टीम ने जिस तरह से बताया कि उपकरणों का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ा है।

एड. रामबिहारी, ग्वालियर

अग्नि सुरक्षा मेला में आए हुए सभी लोगों को बहुत ही बारीकी से अग्निशमन यंत्रों के बारे में बता रहा है। शुरुआत के कुछ सेकंड ही रहते हैं जिसमें हम इन सभी महत्वपूर्ण यंत्र को सही तरीके से उपयोग करके आग को बुझा सकते हैं

मुकेश राजोरिया, फायर ब्रिगेड गर्मी

जनता का प्यार देखकर भावुक हो गया हूं : पवैया

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 29 मार्च. 'आज मुझे ग्वालियर की जनता का जो प्यार मिला है, उसे देखकर मैं भावुक हो गया हूं, ऐसा प्यार मुझे वर्ष 1993 में मिला था जब मैं बाबरी विध्वंस के बाद जेल से छूटने के उपरांत ग्वालियर आया था।' यह बात

मप्र वित्त आयोग का अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार ग्वालियर आने पर रेलवे स्टेशन पर हुआ भव्य स्वागत

रविवार को वरिष्ठ भाजपा नेता जयभान सिंह पवैया ने मध्यप्रदेश वित्त आयोग का अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार ग्वालियर आगमन के दौरान रेलवे स्टेशन पर कही। रेलवे स्टेशन पर कार्यकर्ताओं ने पवैया का आतिशबाजी और बैंड बाजों के साथ भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री नारायण सिंह कुशवाह, प्रदेश मीडिया प्रभारी आशिष अग्रवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष जयप्रकाश राजोरिया, ग्रामीण के अध्यक्ष प्रेम सिंह राजपूत, निगम सभापति मनोज तोमर सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एवं विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

इस अवसर पर मप्र वित्त आयोग के अध्यक्ष पवैया का कहना था कि हम अटलजी और ठाकरेजी के संस्कारों में पले बढ़े हैं। उन्होंने इस बात को अपने लिए सौभाग्य बताया कि उन्हें किसी संवैधानिक पद पर अध्यक्ष जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। पवैया का ग्वालियर स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया। स्वागत करने वालों में पूर्व अध्यक्ष अभय चौधरी, कमल माखीजानी, गंगाराम बघेल, जिला उपाध्यक्ष कनवर किशोर मंगलानी, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य विवेक जोशी, अशोक शर्मा, राकेश खुरासिया, सुमन शर्मा, जिले के महामंत्री जवाहर प्रजापति, राजू पलैया, बिट्टू तोमर, युवा नेता रामू भैया, आशिष भदौरिया, विनय जैन, मीडिया प्रभारी डॉ. निशिकांत मोघे, पूर्व विधायक घनश्याम पिरोनिया सहित सैंकड़ों भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। पवैया पदभार ग्रहण के उपरांत आज सॉँयकाल 5.30 बजे वन्दे भारत एक्सप्रेस से नई दिल्ली से ग्वालियर आये। पवैया स्टेशन पर नागरिकों का अभिवादन स्वीकार कर सायंकाल वी. आई. पी. सर्किट हाउस मुरार पहुँचे जहाँ प्रशासनिक अधिकारियों, व्यापारियों, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से मिले।

'मां' समान संगठन को नहीं भूल सकते, जिसकी वजह से सेवा का यह अवसर मिला

पवैया ने कहा कि यह एक संवैधानिक संस्था जरूर है, लेकिन वे अपने 'मां' समान संगठन को नहीं भूल सकते, जिसकी वजह से उन्हें सेवा का यह अवसर मिला है। उन्होंने संगठन के प्रति भी कृतज्ञता जताई।

सुरक्षित जीवन के लिए पर्यावरण संरक्षण आवश्यक : पं . शुभम

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 29 मार्च. तानसेन नगर के रमटापुरा स्थित सहयोग गार्डन में चल रही श्रीमद्भागवत सप्ताह के समापन पर मथुरा से पधारे सुप्रसिद्ध कथावाचक पंडित शुभम अग्निहोत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण परम आवश्यक है। क्योंकि सुरक्षित पर्यावरण से जिंदगी को बचाया जा सकता है।

भागवत कथा का समापन

उन्होंने कहा कि पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। पेड़ पौधे अपने भोजन बनाने की प्रक्रिया में वातावरण से कार्बन डाइ ऑक्साइड को सोखते हैं। जितनी कार्बन डाइ ऑक्साइड सोखते हैं बदले में हमें उतनी ही मात्रा में ऑक्सीजन देते हैं। जिसके कारण हमारा वातावरण शुद्ध रहता है। बिना भोजन और जल के हम कुछ वर्षों तक जीवित रह सकते हैं लेकिन ऑक्सीजन के बिना हम कुछ घंटे भी जीवित नहीं रह सकते हैं। ऑक्सीजन हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है यह हम सबने कोरोना काल में देखा है। यदि आप चाहते हो कि वातावरण शुद्ध रहे तो अपने बच्चे के जन्म दिवस पर और अपनी शादी की वर्ष गांठ पर एक पौधा अवश्य लगाएं और उस पौधे की कम से कम छह महीने तक इस तरह परवरिश करो जैसे अपने बच्चों की परवरिश करते हो। इस अवसर पर आचार्य शेखर भारद्वाज और पंडित सचिन शर्मा ने मन्त्रोचार से विधिवत पूजन कराया।

आज चलेगी आंधी, बारिश की आशंका

ग्वालियर 29 मार्च. मौसम विभाग के अनुसार आज सोमवार को तेज आंधी एवं बारिश की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण ग्वालियर में तापमान में अंतर देखने को मिलेगा, जो कि अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह तक रहेगा। अप्रैल माह

भूमध्य सागर में बने पश्चिमी विक्षोभ का असर ग्वालियर में आज दिखाई देगा

के प्रथम सप्ताह के बाद फिर से गर्मी का असर ग्वालियर में दिखेगा। शहर का अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री दर्ज किया गया जो सामान्य से 0.4 डिग्री कम है, जबकि न्यूनतम तापमान 21.6 डिग्री दर्ज किया गया जो कि सामान्य से 2.8 डिग्री अधिक है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण शहर में शनिवार की रात बादलों का हल्का डेरा था, जिसके कारण रात में तापमान सामान्य से अधिक रहा। जबकि दिन का तापमान सामान्य से कम चल रहा है। मार्च माह के दूसरे पखवाड़े से शहर का अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान सामान्य से कम चल रहा है, जो कि अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह तक रहेगा।

मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को लगभग शहर में तकरीबन 38 से 44 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से हवा चलेगी और बारिश के आसार हैं। इसके कारण शहर का तापमान फिर से सामान्य से नीचे चला जाएगा, साथ ही बारिश होने पर किसानों को नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि अधिकांश किसानों के गेहूं की फसल पककर खेती में खड़ी है.

पत्रकार अजय मिश्रा को पितृशोक

ग्वालियर। ग्वालियर के वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्रा के पिताश्री रामदेव शर्मा मिश्रा का रविवार देर सायं उपचार के दौरान आईटीएम हास्पीटल में निधन हो गया। स्व. रामदेव शर्मा उम्र 91 वर्ष हेल्थ विभाग से सेवानिवृत्त कर्मचारी थे। उनके ज्येष्ठ पुत्र पत्रकार अजय मिश्रा ने बताया कि उनकी अंतिम यात्रा उनके निज निवास आई-10 चेतकपुरी से 30 मार्च को सुबह 10 बजे शुरू होगी।

नाम परिवर्तन सूचना

यह कि यह कि मेरे पुत्र **आर्यन माहौर (Aaryan Mahor)** के आधार कार्ड पर त्रुटि के कारण उसका पुकारने का नाम **संस्कार (Sanskar)** पुत्र **रामेश्वर (Rameshvar)** लिखा हुआ है। जो कि उसका गलत नाम है। यह कि मेरे पुत्र का सही नाम **आर्यन माहौर (Aaryan Mahor)** पुत्र **रामेश्वर (Rameshwar)** है। यह कि मेरे पुत्र के राज्य शिक्षा केन्द्र (म.प्र.) के कक्षा 5 की सत्र 2021-22 की अंक सूची पर एवं उसके जन्म प्रमाण पत्र भी पर भी उसका यही सही नाम लिखा हुआ है। यह कि प्रकाशन के उपरान्त भविष्य में, समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मुझ शपथकर्ता के पुत्र का सही नाम **आर्यन माहौर (Aaryan Mahor)** पुत्र **रामेश्वर (Rameshwar)** लिखा व पढ़ा जाए व तदानुसार ही दर्ज किया जाए।

पुराना नाम- संस्कार पुत्र रामेश्वर
नया नाम- आर्यन माहौर (Aaryan Mahor) पुत्र रामेश्वर (Rameshwar)
प्रेषक :- ग्राम बेरजा, मुरार ग्वालियर म.प्र. पिन 474006 7

नाम परिवर्तन सूचना

यह कि मेरे आधार कार्ड में त्रुटि के कारण मेरा नाम **प्रीति गोयल धनेले (Preeti Goyal Dhanele)** पत्नी **हरीश कुमार (Hareesh Kumar)** लिखा हुआ है, जो कि मेरा गलत नाम है। यह कि मेरा सही नाम **प्रीति गोयल** (Preeti Goyal) पत्नी **हरीश कुमार** (Hareesh Kumar) व पुत्री **राम प्रकाश गोयल (Ram Prakash Goyal)** है मेरा यही नाम मेरे स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र व मेरी माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र की कक्षा 10 व 12 बोर्ड की अंक सूची व मेरे ड्राईविंग लाईसेन्स पर भी लिखा हुआ है। मुझे अपने आधार कार्ड पर अपना सही नाम **प्रीति गोयल (Preeti Goyal)** पत्नी **हरीश कुमार (Hareesh Kumar)** लिखवाना है, यह कि प्रकाशन के उपरान्त भविष्य में, समस्त शासकीय / अशासकीय दस्तावेजों में मेरा सही नाम व **प्रीति गोयल (Preeti Goyal)** पत्नी **हरीश कुमार (Hareesh Kumar)** लिखा व पढ़ा जाए व तदानुसार ही दर्ज किया जाए।

पुराना नाम-प्रीति गोयल धनेले पत्नी हरीश कुमार
नया नाम-प्रीति गोयल (Preeti Goyal) पत्नी हरीश कुमार (Hareesh Kumar)
प्रेषक:-
क्रेसर कॉलोनी, नजदीक धोसीपुरा स्टेशन, गिर्द ग्वालियर पिन 474012 7

अपनों का मिले समर्थन तो आसमान में उड़ान भरेगी आज की नारी

संजीव कुमार शर्मा

ग्वालियर 29 मार्च. महिला सशक्तिकरण केवल आर्थिक आजादी नहीं, बल्कि वैचारिक और मानसिक रूप से सुदृढ़ होने का नाम है। चाहे वह राजनीति का मैदान हो या साइबर जगत की सुरक्षा, जागरूकता ही महिलाओं की सबसे बड़ी शक्ति है। यह

खुद पर भरोसा रखें, संवरेगी महिलाओं की राह

कहना है ग्वालियर के विभिन्न क्षेत्रों में रहकर कार्य कर रही आज की नारी शक्ति का, पूर्व महापौर समीक्षा गुप्ता, एडिशनल एसपी विदिता डागर, समाजसेविका जानवी रोहिरा,योग प्रशिक्षिका सौम्या पाठक, मिसेज यूनिवर्स शिविका सिंह ये सभी महिलाएं अपने-अपने क्षेत्र में 'ग्वालियर का गौरव' हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं।

राजनीति,विकास की मुख्यधारा से जुड़ने का माध्यम :समीक्षा

समीक्षा गुप्ता (पूर्व महापौर, ग्वालियर) ग्वालियर की राजनीति का एक जाना-माना चेहरा हैं। उन्होंने ग्वालियर की महापौर के रूप में अपनी सेवाएँ दी हैं। वे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी रही हैं और संगठन में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। उन्हें शहर के विकास कार्यों और विशेष रूप से महिलाओं को मुख्यधारा की राजनीति में लाने के लिए जाना जाता है। वे प्रखर वक्ता हैं और स्थानीय स्तर पर जनता के बीच काफी लोकप्रिय हैं। पूर्व महापौर श्रीमती समीक्षा गुप्ता ने स्पष्ट किया कि राजनीति के बिना व्यवस्था परिवर्तन संभव नहीं है। उन्होंने कहा 'आज भी राजनीति में महिलाओं की भागीदारी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। महिलाओं को यह समझना होगा कि नीतियों के निर्माण में उनकी भूमिका अनिवार्य है। जब आप राजनीति में कदम रखेंगी, तभी न केवल अपना बल्कि अपने पूरे क्षेत्र का सर्वांगीण विकास कर पाएंगी।'

अबला नहीं, शक्ति स्वरूप है आज की बेटीः विदिता

विदिता डागर भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) की अधिकारी हैं, जो वर्तमान में ग्वालियर में एडिशनल एसपी (एएसपी) के पद पर पदस्थ हैं। वे कानून व्यवस्था बनाए रखने और प्रशासनिक नेतृत्व में अपनी सक्रियता के लिए जानी जाती हैं। एक महिला पुलिस अधिकारी के रूप में वे अक्सर महिला सुरक्षा, आत्मरक्षा और पुलिस बल में बेटियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रेरक व्याख्यान देती रहती हैं। प्रशासनिक नेतृत्व पर चर्चा करते हुए एडिशनल एसपी विदिता डागर आईपीएस ने बेटियों को वर्दी चुनने की प्रेरणा दी। उनका मानना है कि बेटियों को पुलिस और फौज में अपनी संख्या बढ़ानी चाहिए। हर महिला को अपने कानूनी अधिकारों और आत्म-सम्मान के प्रति जागरूक होना चाहिए। पुलिस प्रशासन हर उस महिला के साथ खड़ा है जो अपने हक के लिए आवाज उठाती है।

मानसिक और शारीरिक सुदृढ़ता का आधार है योगःसौम्या

सौम्या पाठक ग्वालियर की एक प्रमुख योग प्रशिक्षिका हैं। वे पिछले कई वर्षों से योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से लोगों को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित कर रही हैं। वे शहर के विभिन्न आयोजनों में महिलाओं को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए सक्रिय रहती हैं। योग शिक्षिका सौम्या पाठक ने महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि सुबह उठकर योगासन करना न केवल बीमारियों से दूर रखता है, बल्कि मन और मस्तिष्क को भी मजबूती प्रदान करता है, जिससे महिलाएं तनावपूर्ण स्थितियों का सामना आसानी से कर सकती हैं।

सपनों को सच करने की कोई उम्र नहींः शिविका

शिविका सिंह फैशन और ग्लैमर जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं। उन्होंने 'मिसेज यूनिवर्स' जैसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत और ग्वालियर का प्रतिनिधित्व कर खिताब अपने नाम किया है। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने शादी और एक बेटी होने के बाद भी अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुँचाया। वे आज के दौर में

विवाहित महिलाओं के लिए एक 'रोल मॉडल' के रूप में उभरी हैं। मिसेज यूनिवर्स शिविका सिंह ने अपनी व्यक्तिगत यात्रा साझा करते हुए बताया कि शादी और मातृत्व के बाद भी सपनों को जीना संभव है। उन्होंने कहा कि 'अगर मैंने एक बेटी की माँ होने के बाद मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीता है, तो ग्वालियर की हर बेटी यह कर सकती है। बस जरूरत है थोड़े पारिवारिक सहयोग और अटूट आत्मविश्वास की। आपकी कला ही आपको नाम, शोहरत और पहचान दिलाएगी।'

आगामी लक्ष्य 'सर्वाइकल कैंसर मुक्त ग्वालियर': जानवी

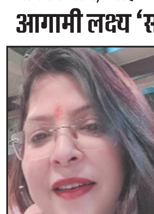

जानवी रोहिरा ग्वालियर की एक सक्रिय समाजसेवी हैं। वे कई सामाजिक संगठनों-सोसायटी के माध्यम से सामाजिक उत्थान के कार्यों में संलग्न हैं। वर्तमान में उनका पूरा ध्यान महिलाओं के स्वास्थ्य, विशेषकर सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने और सरकार द्वारा संचालित मुफ्त टीकाकरण अभियान को घर-घर पहुँचाने पर है। समाजसेवी जानवी रोहिरा का कहना है कि महिलाओं को सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। महिला परोपकार के लिए ही जन्मी है और हमें अपना यह कार्य कभी छोड़ना नहीं चाहिए। उन्होंने बताया कि आगामी समय में पूरे ग्वालियर में सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और सरकार के सहयोग से निशुल्क टीकाकरण शिविर आयोजित किए जाएंगे।

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षेत्र क्रं 12, वार्ड क्रं 45,स्थान देशपाण्डे कॉम्पलेक्स,शिन्दे की गोठ ग्वा0 मे स्थित है जो कि मृत्युंजय गोस्वामी/ एच.एम गोस्वामी के नाम से नगर निगम मे आई डी क्र 1000142595 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफ्ल 108 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रं R-22032600493375 दिनांक 27.03.2026 प्राप्त किया गया है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति संपत्तिकर एंव अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द रोशनी घर, क्षे.क्र 12, पर दिनांक 28.03.2026 को किया गया है। जिसका ऑनलाईन आवेदन कार्य क्रं PT55529 प्र. क्र.... 3/11 है। उक्त के संबध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर मे स्थित संपत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 205,202 मे प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नही होगी एंव उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम व पता -
मोहन गुप्ता/ओमप्रकाश गुप्ता
पता-देशपाण्डे कॉम्पलेक्स ग्वा0 (म.प्र.), मो0-7485122051
विज्ञप्ति जारी दिनांक-29.03.2026
नवभारत समाचार पत्र

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षेत्र क्रं 12, वार्ड क्रं 45,स्थान म गीता कॉलोनी,लश्कर ग्वा0 मे स्थित है जो कि अंजना मण्डेलिए/विवेक मण्डेलिए,अल्का गोयल/ अमन गोयल,ममता अग्रवाल/सतीश कुमार मंगल, राजीव/ए.बी मित्तल,मंजु/रामेश्वर सिंघल के नाम से नगर निगम में आई डी क्र 1000075656 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफ्ल 472.6 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रं R-08122501778068 दिनांक 17.02.2026 हकत्याग द्वारा प्राप्त किया गया है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति संपत्तिकर एंव अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द रोशनी घर, क्षे.क्र 12, पर दिनांक 28.03.2026 को किया गया है। जिसका ऑनलाईन आवेदन कार्य क्रं PT55541 प्र. क्र.... 3/11 है। उक्त के संबध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर मे स्थित संपत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 205,202 मे प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नही होगी एंव उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम व पता -
संजय मित्तल/अवध बिहारी
पता-गीता कॉलोनी ग्वा0 (म.प्र.), मो0-8435411175
विज्ञप्ति जारी दिनांक-29.03.2026
नवभारत समाचार पत्र

शव मिलने से फैली सनसनी

ग्वालियर 29 मार्च . सिंध नदी के स्टॉप डैम में एक युवक का शव पड़ा मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान चार दिन पूर्व आत्महत्या करने के लिए नदी में छलांग लगाने वाले के रूप में हुई है। घटना की सूचना पाकर पहुंची डबरा पुलिस ने शव भिजवाने के उपरांत मर्ग कायम कर को निकलवाकर पीएम हेतु मामले को विवेचना में ले लिया है।

डबरा थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम आरुषि निवासी 21 वर्षीय सूर्यभान रावत लंबे समय से किसी बात को लेकर डिप्रेशन में चल रहा था। बीती 23 मार्च की सुबह वह अपना मोबाइल छोड़कर घर से निकला था और 24 मार्च को उसकी बाइक सिंध नदी के पुल पर खड़ी मिली थी। इसके बाद एसडीआरएफ की टीम बोट मशीन - से उसकी तलाश में जुटी थी। सीसीटीवी फुटेज में भी सूर्यभान करीब 4 घंटे तक घूमता हुआ दिखा था। जिससे उसकी खोजबीन की जा रही थी। चार दिन बाद स्वत : उसका शव फूलकर पानी में उतरा आया। लोगों ने जब युवक का शव पानी में देखा, तो वह सहम गए। देखते ही देखते मौके पर तमाशबीनों का जमघट लग गया। सूचना पाकर पुलिस भी पहुंच गई। जिसने शव को बाहर निकलवाकर मृत युवक की शिनाख्त सूर्यभान रावत के रूप में करते हुए उसके परिजनों को सूचित किया। लोगों ने बताया कि सूर्यभान बेहद डिप्रेशन में था। जिसके चलते करीब छह माह पूर्व भी उसने आत्महत्या करने के मकसद से जहर खा लिया था, लेकिन तब समय पर इलाज मिलने से उसकी जान बच गई थी। इसके बाद विगत दिनों उसने सिंध नदी में छलांग लगा दी, किंतु इस बार वह नहीं बच सका और उसकी मौत हो गई।

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती शीला गोस्वामी पत्नी श्री प्रकाश गोस्वामी के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की एक अचल संपत्ति जिसका प्लाट क्र. 11, वार्ड क्र. 45, ग्राम महाराजपुर एवं तहसील मुरैना नगर व जिला मुरैना के सर्वे क्र. 1009 की होकर जिसकी चतुर्सीमाः- पूर्व में- आम रास्ता 30 फुट चौड़ा, पश्चिम में- बाउंड्री, उत्तर में- प्लॉट क्र. 12, दक्षिण में- प्लॉट क्र. 10 व कुल क्षेत्रफल 858 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति पूर्व में श्रीमान रन सिंह, धर्मेंद्र सिंह, रवेंद्र सिंह व सतेंद्र सिंह पुत्रगण स्व. श्री ज्ञान सिंह, फूलवती पुत्री स्व. श्री ज्ञान सिंह, रामबाई पत्नी स्व. श्री ज्ञान सिंह, थान सिंह तथा जसराम सिंह पुत्रगण श्री भरत सिंह के स्वत्व, स्वामित्व व संयुक्त आधिपत्य की थी जिसका उल्लेख राजस्व विभाग के दस्तावेजों में विधिवत दर्ज है। तत्पश्चात, उक्त संपत्ति के अंश भाग में से केवल श्रीमान थान सिंह सिकरवार तथा जसराम सिंह सिकरवार पुत्रगण श्री भरत सिंह सिकरवार द्वारा श्रीमती गायत्री शर्मा पत्नी श्री अनिल शर्मा को ई- रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र विलेख दस्तावेज क्र. MP25792021A1558907 व दिनांक 09.07.2021 से विक्रय की गई। तदुपरांत श्रीमती गायत्री शर्मा पत्नी श्री अनिल शर्मा द्वारा श्रीमती शीला गोस्वामी पत्नी श्री प्रकाश गोस्वामी को ई-रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र विलेख दस्तावेज क्र. MP27IGR17912025A100405344 व दिनांक 02.06.2025 से विक्रय की गई। अतः उक्त संपत्ति को मेरे पक्षकार वित्तीय संस्थान ग्वालियर के समक्ष उक्त संपत्ति पर ऋण प्राप्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत होकर बंधक किए जाना प्रस्तावित है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय, बैंक या किसी अन्य उत्तराधिकारी का किसी पूर्ण या अंश भाग पर या किसी भी संस्था की कोई राशि अवशेष हो तो इस सूचना के प्रकाशन से 07 (सात दिवस) की अवधि में विधिवत अपने दावे के समर्थन में समस्त प्रपत्र सहित मेरे कार्यालय में संपर्क कर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। अन्यथा वर्णित अवधि के अवसान उपरांत समस्त आपत्तियां इस सूचना प्रपत्र के समक्ष व्यर्थ, शून्य व प्रभावहीन होंगी और उक्त संपत्ति पर प्रदत्त ऋण हेतु बंधककर्ता वित्तीय संस्थान का अधिकार सर्वोपरि होगा। कृपया सूचित हो।

इति दिनांक :- 29.03.2026

प्रेषक-**विशाल अग्रवाल** (अधिवक्ता)
कार्यालय -"मैसर्स श्री हीरानन्द लीगल कंसल्टेंट" ग्राउंड फ्लोर, यादव मार्केट, जीवाजी यूनिवर्सिटी गेट नंबर 2 के पास, सिटी सेंटर ग्वालियर मो.9826820987

आम सूचना

आप जन साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पक्षकार AU SMALL FINANCE BANK, CITY CENTRE BRANCH, GWALIOR (M.P.) के द्वारा अचल संपत्ति स्थित गोशपुरा नंबर 1, ठाकुर मोहल्ला, चार शहर का नाका से हजीरा चौराहा मुख्य रोड से हटकर, नगर निगम संपत्ति क्र. 950, वार्ड क्र. 11, तहसील एवं जिला ग्वालियर है, जिसकी चतुर सीमा निम्न प्रकार हैः- पूर्व मेंः रास्ता एवं प्लाट गौरव गुप्ता, पश्चिम मेंः मकान रोशन सिंह सिसोदिया आदि, उत्तर मेंः मकान रमेश यादव, पप्पू यादव आदि, दक्षिण मेंः मकान सुमेर सिंह सिसोदिया पर श्रीमती अनीता गुप्ता पत्नी श्री हरिओम गुप्ता निवासी पटेल स्कूल के पास, हजीरा, ग्वालियर के हक में श्री नीरज सिंह राजपूत पुत्र श्री घनश्याम सिंह राजपूत निवासीः गोशपुरा नं. 1, चार शहर का नाका रोड, सुभाष नगर गेट के सामने, हजीरा ग्वालियर एवं श्री फिलिप अलेक्सेंडर पुत्र श्री जोसफ अलेक्सेंडर निवासी- चार शहर का नाका रोड, हजीरा, ग्वालियर (म.प्र.) के द्वारा एक विक्रय पत्र निष्पादित होना है। यहकि, उक्त वर्णित संपत्ति में से श्री सुरेंद्र प्रजापति का भाग श्री नीरज सिंह एवं श्री फिलिप अलेक्सेंडर को जरिये पंजीकृत निर्मुक्त विलेख क्र. MP21IGR17402025A100382237 द्वारा श्री सुरेंद्र प्रजापति से प्राप्त हुई थी। यह कि उक्त वर्णित संपत्ति श्री नीरज सिंह राजपूत एवं श्री फिलिप अलेक्सेंडर एवं श्री सुरेंद्र प्रजापति पुत्र श्री खुशालीराम प्रजापति निवासी- 101, गणपति विहार, तानसेन मार्ग साकेत नगर, ग्वालियर को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र क्र. MP142602023A11361338, दिनांकः 13-01-2023 से श्रीमती राजाबेटी पत्नी स्व. श्री हरी सिंह एवं श्री राजेंद्र सिंह एवं श्री आनंद एवं श्री अरविन्द सिंह पुत्रगण स्वर्गीय श्री हरी सिंह निवासीगण : ठाकुर मोहल्ला, गोशपुरा नं.1, हजीरा, ग्वालियर (म.प्र.) से क्रय कर प्राप्त हुई थी। यहकि, उक्त वर्णित संपत्ति श्रीमती राजाबेटी एवं श्री राजेंद्र सिंह एवं आनंद एवं अरविन्द सिंह को अपने पिता श्री हरी सिंह की मृत्यु के पश्चात प्राप्त हुई थी। अतः जिस किसी भी व्यक्ति को श्रीमती अनीता गुप्ता के हक में श्री नीरज सिंह राजपूत एवं श्री फिलिप अलेक्सेंडर के द्वारा निष्पादित होने जा रहे पंजीकृत विक्रय पत्र पर हस्तक्षेप हो या श्री हरी सिंह के वारिसान/ उत्तराधिकारी होने का दावा करता हो तो आज दिनांकः 30-03-2026 से सात दिन के अंदर स्वयं मेरे कार्यालय अथवा AU SMALL FINANCE BANK, CITY CENTRE BRANCH पर उपस्थित होकर अपना हस्तक्षेप या दावा दर्ज करावे। उक्त मियाद पश्चयात उक्त वर्णित संपत्ति उपरोक्त वर्णित बैंक में साम्य बंधकीत की जावेगी सो सूचित हो, तत्पश्चात आपका हस्तक्षेप या दावा अस्वीकार्य एवं अमान्य होगा।

29.03.2026

प्रेषक: **संस्कार शर्मा** (अधिवक्ता)
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ग्वालियर
कार्यालय:5-B सतीश निवास, अशोक कॉलोनी, खासगी बाज़ार, लश्कर ग्वालियर, (म.प्र.) मो. 9074602044

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती गुडिया पत्नी श्री कप्तान सिंह के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की एक अचल संपत्ति जिसका प्लाट क्र. 16 का भाग, ब्लॉक-D, नगर निगम वार्ड क्र. 62, ग्राम जिरैना एवं तहसील मुरार व जिला ग्वालियर के सर्वे क्र. 7/2 की होकर जिसकी चतुर्सीमाः- पूर्व में- प्लाट क्र. 22, पश्चिम में- आम रास्ता कॉलोनी, उत्तर में- प्लॉट अनुराधा, दक्षिण में- मकान वकील व कुल क्षेत्रफल 450 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति पूर्व में श्रीमान कैलाशचंद्र, नरेश, कमलेश पुत्रगण श्री रामस्वरूप एवं अन्य के स्वत्व, स्वामित्व व संयुक्त आधिपत्य की थी जिसका उल्लेख राजस्व विभाग के दस्तावेजों में विधिवत दर्ज है। तत्पश्चात, उक्त संपत्ति के अंश भाग में से केवल श्रीमान कमलेश पांडेय पुत्र स्व. श्री रामस्वरूप पांडेय द्वारा श्रीमान चंद्रवीर सिंह पुत्र श्री जगदीश सिंह को ई- रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र विलेख दस्तावेज क्र. MP142592019A1234570 व दिनांक 03.04.2019 से विक्रय की गई। तदुपरांत उक्त संपत्ति के अंश भाग में से श्रीमान चंद्रवीर सिंह पुत्र श्री जगदीश सिंह द्वारा श्रीमती गुडिया पत्नी श्री कप्तान सिंह को ई- रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र विलेख दस्तावेज क्र. MP142592023A11497368 व दिनांक 17.02.2023 से विक्रय की गई। अतः उक्त संपत्ति को मेरे पक्षकार वित्तीय संस्थान ग्वालियर के समक्ष उक्त संपत्ति पर ऋण प्राप्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत होकर बंधक किए जाना प्रस्तावित है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय, बैंक या किसी अन्य उत्तराधिकारी का किसी पूर्ण या अंश भाग पर या किसी भी संस्था की कोई राशि अवशेष हो तो इस सूचना के प्रकाशन से 07 (सात दिवस) की अवधि में विधिवत अपने दावे के समर्थन में समस्त प्रपत्र सहित मेरे कार्यालय में संपर्क कर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। अन्यथा वर्णित अवधि के अवसान उपरांत समस्त आपत्तियां इस सूचना प्रपत्र के समक्ष व्यर्थ, शून्य व प्रभावहीन होंगी और उक्त संपत्ति पर प्रदत्त ऋण हेतु बंधककर्ता वित्तीय संस्थान का अधिकार सर्वोपरि होगा। कृपया सूचित हो।

इति दिनांक :- 29.03.2026

प्रेषक-**विशाल अग्रवाल** (अधिवक्ता)
कार्यालय -"मैसर्स श्री हीरानन्द लीगल कंसल्टेंट" ग्राउंड फ्लोर, यादव मार्केट, जीवाजी यूनिवर्सिटी गेट नंबर 2 के पास, सिटी सेंटर ग्वालियर मो.9826820987

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती मोतीराज पत्नी श्री राजेंद्र सिंह के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की एक अचल संपत्ति जिसका वार्ड क्र. 20, गोवर्धन कॉलोनी, ग्राम जडेरूआ कला एवं तहसील मुरार व जिला ग्वालियर के सर्वे क्र. 661/14, 661/15, 661/16, 661/22 की होकर जिसकी चतुर्सीमाः- पूर्व में- मकान राजेंद्र सिंह, पश्चिम में- आम रास्ता, उत्तर में- मकान भानूप्रताप, दक्षिण में- मकान बीनू व कुल क्षेत्रफल 625 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति पूर्व में श्रीमती कलावती पत्नी श्री दौलतराम, श्रीमान कौशल किशोर, श्रीमान प्रताप सिंह, श्रीमान सरनाम सिंह पुत्रगण श्री दौलतराम के स्वत्व, स्वामित्व व संयुक्त आधिपत्य की थी जिसका उल्लेख राजस्व विभाग के दस्तावेजों में विधिवत दर्ज है। तत्पश्चात, केवल श्रीमान कौशल किशोर, श्रीमान सरनाम सिंह पुत्रगण श्री दौलतराम द्वारा श्रीमती मोतीराज पत्नी श्री राजेंद्र सिंह को ई- रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र विलेख दस्तावेज क्र. MP142592024 A11296205 व दिनांक 29.10.2024 से विक्रय की गई। अतः उक्त संपत्ति को मेरे पक्षकार वित्तीय संस्थान ग्वालियर के समक्ष उक्त संपत्ति पर ऋण प्राप्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत होकर बंधक किए जाना प्रस्तावित है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय, बैंक या किसी अन्य उत्तराधिकारी का किसी पूर्ण या अंश भाग पर या किसी भी संस्था की कोई राशि अवशेष हो तो इस सूचना के प्रकाशन से 07 (सात दिवस) की अवधि में विधिवत अपने दावे के समर्थन में समस्त प्रपत्र सहित मेरे कार्यालय में संपर्क कर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। अन्यथा वर्णित अवधि के अवसान उपरांत समस्त आपत्तियां इस सूचना प्रपत्र के समक्ष व्यर्थ, शून्य व प्रभावहीन होंगी और उक्त संपत्ति पर प्रदत्त ऋण हेतु बंधककर्ता वित्तीय संस्थान का अधिकार सर्वोपरि होगा। कृपया सूचित हो।

इति दिनांक :- 29.03.2026

प्रेषक-**विशाल अग्रवाल** (अधिवक्ता)
कार्यालय -"मैसर्स श्री हीरानन्द लीगल कंसल्टेंट" ग्राउंड फ्लोर, यादव मार्केट, जीवाजी यूनिवर्सिटी गेट नंबर 2 के पास, सिटी सेंटर ग्वालियर मो.9826820987

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एक आवासीय भू-खण्ड क्रमांक 29 जिसका क्षेत्रफल 906 वर्गफीट है, जो सर्वे क्रमांक 1357/2 राजस्व ग्राम भदरौली का भाग होकर वार्ड क्रमांक 62, भदरौली, ग्वालियर, तहसील एवं जिला ग्वालियर, म.प्र. में स्थित है जिसकी चर्तुसीमा निम्न है :- पूर्व में-अन्य की सम्पत्ति, पश्चिम में-आम रास्ता, उत्तर में - प्लॉट क्रमांक 30, दक्षिण में - प्लॉट क्रमांक 28 स्थित है, उक्त संपत्ति को आवेदिका श्रीमती सुरूचि परमार पत्नी श्री सौरभ सिंह सिकरवार निवासी वार्ड क्रमांक 04, गोरमी, भिण्ड, जिला भिण्ड, म.प्र. ने सम्पत्ति स्वामी श्री भूरे सिंह पुत्र श्री दयाराम निवासी मुरार, ग्वालियर, जिला ग्वालियर, म.प्र से क्रय करने का अनुबंध कर मेरे पक्षकार पिरामल फाइनेन्स लिमिटेड ग्वालियर (म.प्र.) के यहां आवास ऋण के विरूद्ध बंधक करने हेतु सहमत होकर आवेदन किया है। यह कि, उक्त सर्वे संख्यांक की सम्पत्ति को अनुबंधकर्ता अन्य सह-स्वामियों के साथ संयुक्त स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्यधारी के रूप में धारण करता था तथा उसके द्वारा अपने भाग की भूमि से आवेदिका के पक्ष में उक्त सम्पत्ति का विक्रय अनुबंध-पत्र का निष्पादित किया गया है। यह कि, यदि किसी सहस्वामी, व्यक्ति / व्यक्तियों को उक्त संपति या उसके किसी भाग के संबंध में किसी प्रकार की कोई या कैसी भी आपति किसी भी माध्यम अर्थात बिक्रय, विनमय, बंधक (साम्यिक / रजिस्टर्ड बंधक या अन्यथा बंधक) न्यास, उत्तराधिकार, पारिवारिक व्यवस्थापन, भरणपोषण, विल द्वारा हस्तांतरण, भागीदारी, आधिपत्य, पट्टा, उप पट्टा, किरायेदारी, लायसेंस, भार, गिरवी, सुखाधिकारी या अन्य किसी प्रकार का अधिकार होने का दावा या आपत्ति करता हो तो वह मेरे नीचे लिखे नाम व पते पर मय दस्तावेजी प्रमाण के लिखित रुप में नोटिस प्रकाशन से 07 दिवस के अंदर प्रस्तुत करें अन्यथा समयोपरांत् उक्त संपत्ति मेरे पक्षकार के यहां बंधक कर ली जावेगी। उसके उपरांत् कोई भी आपत्ति कतई स्वीकार योग्य न होकर निर्थक अर्थहीन, त्याग दी गई समझी जाकर शून्य होगी तथा मेरे पक्षकार पर कतई बंधनकारी नहीं होगी तदनुसार सूचित हो।

दिनांक : 29-03-2026

पुष्पेन्द्र कुमार अग्रवाल (एडवोकेट)
कार्यालय -44, कैलाश विहार, सिटी सेंटर, ग्वालियर, जिला ग्वालियर (म.प्र.),
कार्या. समय : प्रातः 11.00 से सायं 05 .00 तक

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवासीय भू-खण्ड क्रमांक 34, 35 एवं 36 का भाग जिनका संयुक्त क्षेत्रफल 2500 वर्गफीट है, जो सर्वे क्रमांक 2950/1/1/1/1 राजस्व ग्राम पिछोर का भाग होकर वार्ड क्रमांक 01, पिछोर, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर, म.प्र. में स्थित है जिसकी चर्तुसीमा निम्न है :- पूर्व में-आम रास्ता, पश्चिम में-प्लॉट क्रमांक 34 का शेष भाग, उत्तर में-आम रास्ता, दक्षिण में-प्लॉट कमांक 32 एवं 37 का शेष भाग स्थित है, उक्त संपत्ति को आवेदक श्री आकाश राजपूत पुत्र श्री माधव सिंह निवासी खुरैरी, बड़ागांव, ग्वालियर, जिला ग्वालियर, म.प्र. ने सम्पत्ति स्वामी श्री प्रदीप यादव पुत्र श्री रामअवतार यादव निवासी बंसी विहार, सागरताल रोड़, ग्वालियर, म.प्र. से कय करने का अनुबंध कर मेरे पक्षकार पिरामल फाइनेन्स लिमिटेड ग्वालियर (म.प्र.) के यहां आवास ऋण के विरूद्ध बंधक करने हेतु सहमत होकर आवेदन किया है ।यह कि, उक्त सर्वे संख्यांक की सम्पत्ति को अनुबंधकर्ता अन्य सह-स्वामियों के साथ संयुक्त स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्यधारी के रूप में धारण करता था तथा उसके द्वारा अपने भाग की भूमि से आवेदक के पक्ष में उक्त सम्पत्ति का विक्रय अनुबंध-पत्र का निष्पादित किया गया। यह कि, यदि किसी सहस्वामी, व्यक्ति/व्यक्तियों को उक्त संपत्ति या उसके किसी भाग के संबंध में किसी प्रकार की कोई या कैसी भी आपत्ति किसी भी माध्यम अर्थात बिक्रय, विनमय, बंधक (साम्यिक / रजिस्टर्ड बंधक या अन्यथा बंधक) न्यास, उत्तराधिकार, पारिवारिक व्यवस्थापन, भरणपोषण, विल द्वारा हस्तांतरण, भागीदारी, आधिपत्य, पट्टा, उप पट्टा, किरायेदारी, लायसेंस, भार, गिरवी, सुखाधिकारी या अन्य किसी प्रकार का अधिकार होने का दावा या आपत्ति करता हो तो वह मेरे नीचे लिखे नाम व पते पर मय दस्तावेजी प्रमाण के लिखित रुप में नोटिस प्रकाशन से 07 दिवस के अंदर प्रस्तुत करें अन्यथा समयोपरांत् उक्त संपत्ति मेरे पक्षकार के यहां बंधक कर ली जावेगी। उसके उपरांत् कोई भी आपत्ति कतई स्वीकार योग्य न होकर निर्थक अर्थहीन, त्याग दी गई समझी जाकर शून्य होगी तथा मेरे पक्षकार पर कतई बंधनकारी नहीं होगी तदनुसार सूचित हो।

दिनांक : 29-03-2026

पुष्पेन्द्र कुमार अग्रवाल (एडवोकेट)
कार्यालय -44, कैलाश विहार, सिटी सेंटर, ग्वालियर, जिला ग्वालियर (म.प्र.),
कार्या. समय : प्रातः 11.00 से सायं 05 .00 तक